UPFR010025902026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रुखाबाद।

उपस्थितः– तरुण कुमार सिंह–प्रथम.....एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या – 1156/2026

नीरज भारद्वाज प्रति **राज्य**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 4576/2024

राज्य **प्रति** राकेश भारद्वाज आदि

मु०अ०सं०– 192/2024

धारा– 103/3(5),238, 61(2) **बी०एन०एस० व**

धारा 3(2)(V) **एस.सी./एस.टी. एक्ट**

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला–**फर्रूखाबाद**

दिनांक 02.07.2026

अभियुक्त/प्रार्थी नीरज भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज, निवासी रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद की ओर प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी वाहन स्कूटी रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 76 ए जे 7271 का पंजीकृत स्वामी है, जो प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा में सम्बंधित थाना मऊदरवाजा में खड़ी है। चूंकि अभि०/प्रार्थी अपनी गिरफ्तारी के दिनांक 25/09/2024 से बराबर जिला कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध चला आ रहा था, इसलिए प्रार्थी अपनी स्कूटी उपरोक्त को रिलीज न कर सका। चूंकि स्कूटी उपरोक्त में बराबर थाना में खड़ी रहने से उसके विनष्ट होने की प्रबल सम्भावना है। ऐसी स्थिति में स्कूटी उपरोक्त प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाना थाना न्यायहित में परमावश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ प्राथी का आधार कार्ड व स्कूटी की आर०सी० की छायाप्रतियां दाखिल की जा रही हैं। अतः स्कूटी रजिस्ट्रेशन यूपी 76 ए जे 7271 को प्रार्थी के पक्ष में रिलीज करने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल माल मुकदमाती है। प्रश्नगत मोटरसाइकिल अवमुक्त किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मोटरसाइकिल को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करेगा।

प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.02 19:01:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत हाण्डा स्कूटी एक्टिवा 6G DLX के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं प्रश्नगत मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस प्रमाणपत्र की छायाप्रति, आधारकार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आलोक में सम्बन्धित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाना मऊदरवाजा द्वारा आख्या दी गयी कि सम्बन्धित होण्डा एक्टिवा स्कूटी रजिस्ट्रेशन UP76AJ7271 मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। जिसमें आरोप पत्र लग चुका है। आरोप पत्र संख्या A–176/2024 दिनांकित 10.11.2024 साक्ष्य में आवश्यकता नहीं है। स्कूटी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP76AJ7271 थाना मऊदरवाजा परिसर में सुरक्षित खड़ी है। इसके अतिरिक्त जी.डी. संख्या 37,दिनांकित 13.09.2024, समय 15.12 बजे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जो फर्द बरामदगी एक अदद स्कूटी एक्टिवा 6G नं० UP76AJ7271 से सम्बन्धित है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त नीरज भारद्वाज प्रश्नगत वाहन हाण्डा स्कूटी एक्टिवा 6G DLX का पंजीकृत स्वामी है। प्रश्नगत स्कूटी को अवमुक्त कराने हेतु कोई भी अन्य आवेदक अथवा दावाकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। विधि व्यवस्था **सुन्दरलाल अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, [(2002) 10 S.C.C. 283]** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा धारा 457 दं०प्र०सं० के प्राविधान के आलोक में प्रश्नगत हाण्डा स्कूटी एक्टिवा 6G DLX को थाने के मालखाना में रखे रहने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे प्रश्नगत हाण्डा स्कूटी एक्टिवा 6G DLX के खराब होने की संभावना है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत स्कूटी रजिस्ट्रेशन संख्या UP76AJ7271 निम्न शर्तों के अधीन प्रार्थी/ विधिक स्वामी/अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जा रहा है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नीरज भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वाहन हाण्डा स्कूटी एक्टिवा 6G DLX रजिस्ट्रेशन संख्या UP76AJ7271 अवमुक्ति प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। तद्नुसार प्रश्नगत स्कूटी को निम्न शर्तो के अधीन प्रार्थी/विधिक स्वामी/अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है–

(1) प्रार्थी/अभियुक्त **अंकन 75,000/–(पिचहत्तर हजार रुपये)** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का एक जमानती प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करेगा कि प्रश्नगत वाद के अन्तिम निस्तारण होने तक अथवा न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेशित किये जाने तक प्रार्थी प्रश्नगत मोटरसाइकिल का विक्रय नहीं करेगा, उसके स्वरुप में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा एवं विवेचक अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर अपने व्यय पर उसे तत्काल उपलब्ध

करायेगा। साथ ही यदि भविष्य में प्रश्नगत मोटरसाइकिल का कोई भी अन्य दावाकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है अथवा पाया जाता है तो प्रार्थी इस सम्बन्ध में समस्त क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा। प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत वाहन के समाप्त हो चुके इन्श्योरेन्स का नवीनीकरण अविलम्ब कराकर एक माह के भीतर नवीन इन्श्योरेन्स की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) सम्बन्धित थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रश्नगत मोटरसाइकिल को अवमुक्त किये जाने के पूर्व उक्त मोटरसाइकिल की चारों तरफ से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी नियमानुसार करायेंगे, जिसमें प्रश्नगत मोटरसाइकिल का चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर भी प्रदर्शित हो। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सुस्पष्ट होनी चाहिए ताकि प्रश्नगत मोटरसाइकिल की पहचान सुस्पष्ट हो सके।

(4) उपरोक्तानुसार करायी गयी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी तीन प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति न्यायालय में प्रेषित की जायेगी, दूसरी प्रति सम्बन्धित थाने के अभिलेख में सुरक्षित होगी तथा तीसरी प्रति विवेचक को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त शर्तें पूरी करने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो प्रार्थी/विधिक स्वामी/अभियुक्त **नीरज भारद्वाज** के पक्ष में नियमानुसार अवमुक्त करें तथा तद्नुसार अवमुक्ति आख्या फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी सहित न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः02.07.2026

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रूखाबाद